ओएसडी की गिरफ्तारी के बाद तीन जगह छापेमारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

> ओएसडी माधव, बिचौलिए धीरज गुप्ता और आइएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के परिसरों पर तलाशी
> बिचौलिए की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव की गिरफ्तारी के बाद अन्य एक आइएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के परिसरों पर शुक्रवार को छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि माधव को एक बिचौलिए की ओर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इस बिचौलिए को बुधवार को पकड़ा गया था, जो ओएसडी की तरफ से ट्रांसपोर्टरों से कथित तौर पर रिश्वत लेता था। गुरुवार की रात के एक अभियान में माधव को गिरफ्तार किया गया। सीबीआइ के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के कई और अधिकारी मामले में एजंसी की जांच के दायरे में हैं।

हालांकि, सीबीआइ को अब तक इस मामले में सिसोदिया की संलिप्तता का नहीं पता चला है। सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान माधव ने आइएएस अधिकारी राय की संलिप्तता का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच एजंसी ने सिविल लाइंस में उनके परिसरों की तलाशी ली।

राय असम-मेघालय और अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (कैडर) के 2007 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। सीबीआइ के अधिकारियों ने माधव और आइटीओ इलाके में स्थित जीएसटी विभाग के अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में भी छापे मारे। सीबीआइ ने रोहिणी में माधव के घर और वजीराबाद इलाके में धीरज गुप्ता के घर पर भी छापे मारे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ऐन पहले माधव की गिरफ्तारी की सीबीआइ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं।

POLYCAB
पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड')
सीआईएन: L31300DL1996PLC266483
पंजीकृत कार्यालय: ई-554, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली - 110048, भारत
फोन नंबर: 011-29228574, वेबसाइट: www.polycab.com
ई-मेल: shares@polycab.com

सूचना

फॉर्म सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुक्रम में]

केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5)(अ) तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) के मामले में

तथा

पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-554 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय पॉलीकैब हाउस, 771 मुगल लेन, माहीम (प), मुंबई-400016 पर स्थित है, के मामले में

...वादी कंपनी

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत कंपनी का केंद्र सरकार के समक्ष जिसकी शक्ति क्षेत्रीय, निदेशक को सौंपी गई है, सोमवार, 20 जनवरी 2020 अर्थात विधिवत/भरे हुए पोस्टल बैलेट फॉर्म्स या ई-वोटिंग की प्राप्ति की अंतिम तिथि को पोस्टल बैलेट/इलेक्ट्रॉनिग माध्यम द्वारा वोटिंग (''ई-वोटिंग'') से पारित एक विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी के मेमोरेन्डम ऑफ एसोशिएशन में बदलाव करने की पुष्टि का आग्रह करने का प्रस्ताव है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **''दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'' से ''गुजरात राज्य''** में बदलने में सक्षम हो सके.

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अंदर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर** या एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों एवं विरोध करने के आधार का उल्लेख करते हुए, उसे क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पहुंचा या पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति वादी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को उनके नीचे दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए:

ई-554 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली - 110048

कृते पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड)
हस्ता./-
इंदर टी. जयसिंघानी
अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक
डीआईएन: 00309108

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 फरवरी 2020

RACL Geartech

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 15वाँ तल, ईरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, (भारत)
टेली.: 011-66155129, फैक्स नं. +91-120-4588513
ई-मेल: info@raclgeartech.com/ वेबसाईट: www.raclgeartech.com,
CIN: L34300DL1983PLC016136

RAUNAQ GEARS

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैण्डएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(ईपीएस को छोड़कर रुपये लाखों में)

विवरण	समेकित				स्टैण्डएलॉन			
	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	तिथि तक वर्ष के आंकड़े	समाप्त पूर्व वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	तिथि तक वर्ष के आंकड़े	समाप्त पूर्व वर्ष
	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	5587.56	5287.10	16518.39	19096.43	5587.56	5287.70	16512.66	19096.43
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	795.18	487.13	1953.20	1734.13	791.95	487.13	1955.80	1734.13
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/ विशिष्ट अथवा मदों के बाद)	795.18	487.13	1953.20	1734.13	791.95	487.13	1955.80	1734.13
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	561.98	371.13	1386.33	977.24	558.85	371.13	1389.32	977.24
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	561.98	371.13	1386.33	943.23	558.85	371.13	1389.32	943.23
इक्विटी शेयर पूंजी	1078.16	1028.16	1078.16	1028.16	1076.16	1028.16	1078.16	1028.16
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई है	-	-	-	5618.59	-	-	-	5618.59
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल तथा तरल	5.21	3.61	12.86	9.34	5.18	3.61	12.89	9.34

टिप्पणी:

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 तथा सेबी सर्क्युलर **CIR/ CFD/ FAC/ 62/ 2016** तिथि 5 जुलाई, 2016 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अंनकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं समेकित तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाईट अर्थात **www.raclgeartech.com** तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।
2. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के विस्तृत अनंकेक्षित तथा समेकित वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 6 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
हस्ता./-
गुरशरण सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN:00057602

स्थान: गजरौला
तिथि: 6 फरवरी, 2020

आपसी रंजिश में कारोबारी पर चलाई गोलियां, आरोपी फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

जाफराबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने एक जैकेट कारोबारी की दुकान पर कई गोलियां चलाईं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो हुई है। शुरूआती जांच में पुलिस का कहना है कि गोलीबारी आपसी रंजिश से की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हेल्मेट पहने हुए दिख रहे हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पिछले एक महीने से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं।

उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त वेद प्रकाश सूर्या के मुताबिक, मुर्तजा जाफराबाद इलाके में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी जाफराबाद के गली नंबर-32 के पास मुख्य सड़क पर एमकेके कलेक्शन नाम से जैकेट की दुकान है। शुक्रवार दोपहर करीब 1:25 बजे वे अपने कर्मचारियों के साथ दुकान पर बैठे थे, तभी यह घटना घटी।

SpiceJet
SpiceJet Limited
CIN: L51909DL1984PLC288239
Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi -110 037
Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com;
T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 14th day of February, 2020 to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the third quarter ended December 31, 2019.

The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.

For SpiceJet Limited
Sd/-
Chandan Sand
Sr. VP (Legal) & Company Secretary

Date : February 7, 2020
Place : Gurugram

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मारुती केसरी नंदन एग्रोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मारुती केसरी नंदन एग्रोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19/01/2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15132HR2012PTC044850
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	495/7, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, शिव मंदिर के पास, पटौदी रोड, गुड़गांव-122001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	06/02/2020 (आदेश की प्रति 06/02/2020 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	04/08/2020 (दिवाला प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**श्री अजय कुमार जैन** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00415/2017-2018/11188
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	ई-15/209, सैक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 **ईमेल:** ajayjain721@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	ई-15/209, सैक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 **ईमेल:** marutikesri.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	21.02.2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नही
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेबलिंग: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नही

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ ने दिनांक **06 फरवरी 2020** को अजंता **मारुती केसरी नंदन एग्रोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

मारुती केसरी नंदन एग्रोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **21 फरवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

*दावे उनके विशिष्ट निम्नलिखित प्रपत्रों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं: **फॉर्म बी-** परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए कामकाजी और कर्मचारियों को छोड़कर, **फॉर्म सी-** वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म डी-** काम करने वालों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म ई-** श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए, **फार्म एफ-** लेनदारों द्वारा दावों के लिए (वित्तीय लेनदारों और कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिचालन लेनदारों के अलावा)

उपर्युक्त प्रपत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए, आप वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads से डाउनलोड कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
अजय कुमार जैन
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00415/2017-2018/11188

दिनांक : 08 फरवरी 2020
स्थान : नई दिल्ली